

67/161

15064/10



0388 808125

16 AUG 2010



विक्रय विलेख

आदिफल की संश्लेषित-	रु० 9,24,076/-
याचारा मूल्य -	रु० 8,32,250/-
अन्य विधे नणे जग्गल स्टैम्प-	रु० 64,750/-

1. कुमिल्ला राजवट - वृमि

A. विदावरी



B. पुरवरी



A. लीला सुका





03BB 808124
 10 AUG 2010
 भारतीय धर व्यापिक
 भारत सरकार
 नया दिल्ली

-2-

2. परगना - बिजनौर
3. ग्राम - बरीना
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.380 हेक्टेअर का 1/2 भाग अर्थात 0.180 हेक्टेअर, खसरा संख्या 1156 रकबा 0.101 हेक्टेअर का पूर्ण भाग कुल विक्रीत रकबा 0.281 हेक्टेअर स्थित ग्राम- बरीना परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।
5. मापन की ईकाई - हेक्टेअर

1. विदावती

 2. मन्दावी


1. मन्दावी




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 996142

-3-

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल— | 0.281 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति — | सुल्तानपुर रोड व अमरशाहीद गथ
से लगभग 500 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार — | कृषि |
| 9. | पेड़ों की स्थिति — | नहीं। |
| 10. | बोरिंग/ कुआँ अन्य — | कुछ भी नहीं है। |

बौहददी खसरा नं० 147

उत्तर : खसरा नं०-146

विश्वेश्वरी


शुभमती


शुभमती




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 996143

-4-

दक्षिण : खसरा नं०- 148
पूरब : खसरा नं०- नहर
पश्चिम : खसरा नं०- 140

चौहददी खसरा नं० 1156

उत्तर : खसरा नं०- 1155
दक्षिण : खसरा नं०- 1151
पूरब : खसरा नं०- 1157
पश्चिम : खसरा नं०- 1155

पि. शास्त्री
[Signature]

व. वि. कुमारी
[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-5-

प्रथम पक्ष की संख्या- 2 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रतागण का विवरण	ः	क्रेता का विवरण
1. श्रीमती विद्यावती पत्नी परमेश्वर निवासिनी- राजाजी पुरम, लखनऊ	:	वीरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम निवासी-पूरे
2. फूलमती पत्नी कुंवारे निवासिनी- ग्राम घुसवल, परमना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	निधि दुबे मजरा किलौली जिला रायबरेली।
व्यवसाय- कृषि	:	व्यवसाय-कृषि

नि निवासिनी
मुसमती

नि वीरेन्द्र कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 996141

- 6 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख 1. श्रीमती विद्यावती पत्नी परमेश्वर
निवासिनी- राजाजी पुरम, लखनऊ 2. फूलमती पत्नी कुंवारे
निवासिनी- ग्राम घुसवल, परगना बिजनीर, तहसील ब जिला
लखनऊ, जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् वीरेन्द्र कुमार पुत्र
राजाराम निवासी-पूरे निधि दुबे मजरा किलौली जिला रायबरेली
जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। क्रेता व

श्रीमती विद्यावती
[Signature and Stamp]

श्री वीरेन्द्र कुमार
[Signature and Stamp]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 996139

-7-

विक्रेतागण शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान व निष्पादकगण आदि सम्मिलित है।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.360 हेक्टेअर का 1/2 भाग अर्थात् 0.180 हेक्टेअर, खसरा संख्या 1156 रकबा 0.101 हेक्टेअर का पूर्ण भाग कुल विक्रीत रकबा 0.281 हेक्टेअर स्थित ग्राम- बरौना परगना मिजनाौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षट्मासिक खाता खातीनी क्रम संख्या 00461 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि

विप्रेतागण



विक्रेतागण



विक्रेतागण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 996140

- 8 -

विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिरसा फेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज हैं एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लास भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, पट्टे, भूदान व ग्राम समाज की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के गारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी

१. विक्रेता



२. विक्रेता



३. विक्रेता





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P-027720

AUG 2010

-9-

या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण बन्धित में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके चारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तारण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल

1. विक्रेतागण

1. विक्रेतागण

1. विक्रेतागण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P-027719

3 AUG 2010

-10-

विक्रय मूल्य रु0 9,24,076/- (रूपया नौ लाख चौबिस हजार छिहत्तर मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त कंता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त कंता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का भीके पर कब्जा कंता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके

१ विक्रेता

 १ विक्रेता


१ विक्रेता




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 027718

9 AUG 2010

म.प्र. न्यायिक न्यायिक
प्रदेशी न्यायिक न्यायिक
म.प्र. न्यायिक न्यायिक

- 11 -

वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विकेतागण ने विकयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हगेशा के लिए केला को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केला विकयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विकेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अडचन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अडचन या कानूनी त्रुटि के

ए. विदावती





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P. 027717

9 AUG 2010

नं. १०००/२०१०
SP/A जजगणर लखनऊ
१०/०८/१०

- 12 -

कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विकेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विकेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा। यह कि विकेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य

०- निपादक
[Signature]
[Fingerprint]

[Signature]
[Fingerprint]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 375117

09 Aug 2015

- 13 -

किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि केता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अगिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विकेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बफारा किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विकेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विकेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरीना, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु०

विकेता
 विकेता


विक्रेता




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 147367


-14-

22,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.281 हेक्टेअर की मालियत रू० 6,32,250/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 64,750/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर राहीद पथ से लगभग 500 मीटर से

1 विक्रयकर्ता



1 विक्रयकर्ता



1 विक्रयकर्ता





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 147368

-15-

अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समझ गयाहान लिख दिया ताकि सन्द रहे और यक्त जरूरत पडने पर काम आवे।

1-2-2022


1-2-2022


1-2-2022




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 510148

- 16 -

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू० 1,24,703/- द्वारा चेक संख्या- 313679 दिनांकित 18.08.2010 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ से प्राप्त हुए।
2. विक्रेता को रू० 7,84,373/- द्वारा चेक संख्या- 313680 दिनांकित 18.08.2010 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ से प्राप्त हुए।

प. शर्मा


स. शर्मा


श्रीव 22


3. विक्रेतागण को रू० 15,000/- (रुपया पन्द्रह हजार मात्र) क्रेता से नगद प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू० 9,24,076/- (रुपया नौ लाख चौबीस हजार छिहत्तर मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेतागण ने अपनी तुरी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

अतः आज उमय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक : 18.08.2019

लखनऊ

मपहान-

1. पंकज झा
राम नरेश झा
माल बाग (कपकप)

1- विक्रेतागण

विक्रेतागण

2. शान भुतिरा
मन् शैलदे
इ. अका नं० 12
लखनऊ

1- वीरेंद्र कुमार
मपहान


टाइपकर्ता:



(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:




(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट,

1. The land shown in this map is the property of the Government of India.
 2. The land is held in the name of the Government of India.
 3. The land is held in the name of the Government of India.
 4. The land is held in the name of the Government of India.

1275 वीस 45 विघात 125 व
 28 व 147 125 व 123



P. वि. वि. वि.
 P. वि. वि. वि.
 वि. वि. वि.

P. वि. वि. वि.
 वि. वि. वि.

ने निम्नानुसार स्वीकार किया।

दिनांक 18/03/2018 को

पुत्र श्री शमभद्र

को स्वाध्याय

दिया। लखनऊ, लखनऊ

पुत्र श्री सुख सुविमल


पुत्र श्री मोति

को स्वाध्याय

दिया। मुमुक्षु नगर, लखनऊ

पुत्र श्री

प्रत्यक्ष पर मंत्रियों के द्वारा अंगुठी निपटान किया गया है।




मजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ
18/03/2018

29.5 - 115.6
 29.5 - 115.6



1. 29.5 - 115.6
 2. 29.5 - 115.6
 3. 29.5 - 115.6

4. 29.5 - 115.6
 5. 29.5 - 115.6

चित्रेता

Registration No. 15064

Year 2010

Book No. 1

0101 विदायती

जयदेवदा

संस्कृत-विज्ञान-अध्ययनक

मुद्रिता



0102 तुलसी


कुवरी

संस्कृत-विज्ञान-अध्ययनक


मुद्रिता



रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32ए० के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स
 देता का नाम व पता श्रीमती विद्यावती पत्नी परमेश्वर निवासिनी- राजाजी पुरम, लखनऊ।
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




चिह्न देता का हस्ताक्षर

विद्यावती का नाम व पता:- फूलमती पत्नी कुंवारे निवासिनी- ग्राम घुसवल, परगना बिजनौर,
 तहसील व जिला लखनऊ।
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



चिह्न देता का हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स
के नाम व पता- वीरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम निवासी-पूरे निधि दुबे मजरा किलौली जिला
सदरबन्दी।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



वीरेन्द्र कुमार

कानून के हस्ताक्षर


संख्या दिनांक 18/08/2010 को

परी में I दिनांक 11/08

पृष्ठ नं 211 से 261 पं.सं. 1500

संशोधित किया गया।

पं. प्रकाश सोहन सिंह



उप निदेशक

संस्कृत

18/08/2010

